

निर्देशिका

“मंगलम गार्डन सिटी”

मुख्यमंत्री जन आवास योजना – 2015

योजना का नाम: “मनोरमा हाईट्स”

“मंगलम बिल्ड डवलपर्स लिमिटेड.” (विकासकर्ता) द्वारा विकसित की जा रही आवासीय परियोजना “मंगलम गार्डन सिटी ” ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान के एवज में मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अर्न्तगत अल्प आय वर्ग के लिये split location खसरा नं. 126, 127 / 1, 128,129, 131 ग्राम नरोत्तमपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान पर मैसर्स श्री हरि ग्रुप (विकासकर्ता) एवं मैसर्स नीलकंठ डवलपर्स (भू-स्वामी) द्वारा निर्मित आवासीय योजना “मनोरमा हाईट्स” के फ्लैट्स की लॉटरी द्वारा आवंटन सूचना



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- प.3()जविप्रा/सं.आ./एचपी/2019/डी- 151

दिनांक : 13/11/2019

कार्यालय आदेश

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 1ए, के अन्तर्गत भूखण्ड/आवास एवं प्रावधान 3ए, 3बी के अन्तर्गत आवासों का आवंटन उक्त पॉलिसी के अन्तर्गत निजी विकासकर्ता द्वारा योजना अनुमोदन के 60 दिवस में आवेदन पत्र आमंत्रित कर जरिये लॉटरी आवंटन किये जाने का प्रावधान है।

प्राधिकरण के कार्यालय आदेश क्रमांक 209 दिनांक 18.08.2017 से खातेदार/निजी विकासकर्ताओं द्वारा निकाली जाने वाली लॉटरी में जविप्रा के प्रतिनिधि के तोर पर उपस्थित होने बाबत पॉलिसी के प्रावधानों अनुसार सम्बन्धित जोन उपायुक्त को अधिकृत किया गया है। विकासकर्ताओं द्वारा प्रावधान 1ए, 3ए, 3बी के अन्तर्गत उपरोक्त प्रकार से आवेदन पत्र आमंत्रण करने हेतु समाचार पत्रों में जारी की जाने वाली विज्ञापित में समरूपता रहें, इसके लिए निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु जारी की जानी वाली विज्ञापित का प्रारूप न्यूनतम साईज 10 X 8 स्क्वायर सेन्टीमीटर होगा एवं विज्ञापन में न्यूनतम 8 का फोन्ट साईज रहेगा। विज्ञापन का प्रारूप परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) एवं अल्प आय वर्ग (एलआईजी) भूखण्ड/प्लेट्स का विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आवंटन हेतु आदर्श निर्देशिका भी तैयार कर दी जिसकी प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। विकासकर्ता द्वारा स्वयं की वेबसाइट, कार्यालय नोटिस बोर्ड अथवा आवेदन पुस्तिका इत्यादि में जैसी भी स्थिति हो इसका उपयोग कर सकते हैं।

उक्त मॉडल निर्देशिका को जविप्रा की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जा रहा है ताकि सम्बन्धित पक्षकारों द्वारा इसका उपयोग किया जा सकें। लेखाधिकारी (स्कीम योजना), वित्त शाखा के संयोजकत्व में बनाई गयी तीन सदस्य कमेटी हर तीन माह पश्चात उक्त आदर्श निर्देशिका की समीक्षा कर निर्देशिका को अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अर्चना सिंह)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव-तृतीय, जविप्रा, जयपुर।
4. पी.डी. रूडसिंको, जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. पुलिस अधीक्षक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
2. वन संरक्षक, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम, द्वितीय, वित्त, आयोजना, विधि), जविप्रा, जयपुर।
4. अति. आयुक्त (प्रशासन, पूर्व, पश्चिम, पुनर्वास, भूमि, पीआरएन), जविप्रा, जयपुर।
5. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय, सिस्टम मैनेजमेंट), जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन-1 से 14, पीआरएन-साउथ-I,II, उत्तर-I,II, स्टोर, वाहन, प्रशासन, आर.एम.एण्ड सी., एस.एम.
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
8. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

(गिरि/राज अग्रवाल)
संयुक्त आयुक्त
(संसाधन विकास एवं समन्वय)

18

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सफलजवाहर, नाल मेहक मार्ग, जयपुर-302004-

दूरभाष :- (+91-141- 2660585); फ़ीबीएस - 0141-2707626 एक्सटेंशन :- 7113;

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015

अल्प आय वर्ग एलआईजी (LIG) फ्लैट्स का विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आवंटन की आदर्श निर्देशिका

1. योजना का विवरण:

योजना का शुभारम्भ: 18.03.2025		मंगलम बिल्ड डवलपर्स लिमिटेड सिक्स्थ तल, अपेक्स मॉल, लाल कोठी, टॉक रोड, जयपुर, राजस्थान	आवेदन की अन्तिम तिथि: 17.04.2025
योजना का नाम: "मनोरमा हाईट्स" "मंगलम बिल्ड डवलपर्स लिमिटेड" (विकासकर्ता) द्वारा विकसित की जा रही आवासीय परियोजना "मंगलम गार्डन सिटी" ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान के एवज में मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अर्न्तगत अल्प आय वर्ग के लिये split location खसरा नं. 126, 127 / 1, 128, 129, 131 ग्राम नरोत्तमपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान पर मैसर्स श्री हरि गुप (विकासकर्ता) एवं मैसर्स नीलकंठ डवलपर्स (भू-स्वामी) द्वारा निर्मित आवासीय योजना "मनोरमा हाईट्स" के फ्लैट्स की लॉटरी द्वारा आवंटन सूचना:-			
क्र. सं.	विवरण	"मंगलम बिल्ड डवलपर्स लिमिटेड" की परियोजना "मंगलम गार्डन सिटी" के एवज में अल्पआय वर्ग (LIG) श्रेणी	
1	रेरा पंजीयन क्रमांक	RAJ/P/2017/147 "मनोरमा हाईट्स"	
2	योजना में फ्लैट्स की संख्या	18 फ्लैट्स (LIG)	
3	योजना में प्रत्येक फ्लैट्स का क्षेत्रफल (सुपर बिल्टअप वर्गफीट में)	550 (लगभग)	
4	आवंटन दर	रु. 2042/- प्रति वर्गफीट सुपर बिल्टअप एरिया पर (रुपये 50/- प्रति वर्गफीट संबंधित नगरीय निकाय एवं रुपये 50/- प्रति वर्गफीट संधारण मद (Maintenance Corpus) तथा रुपये 75/- प्रति वर्गफीट लिफ्ट चार्जज उपरोक्त दर में सम्मिलित हैं)	
5	विकासकर्ता का नाम एवं कार्यालय का पता	मंगलम बिल्ड डवलपर्स लिमिटेड सिक्स्थ तल, अपेक्स मॉल, लाल कोठी, टॉक रोड, जयपुर, राजस्थान	
6	निर्माणकर्ता का नाम एवं कार्यालय का पता	मैसर्स श्री हरि गुप फर्स्ट फ्लोर, धारीवाल कॉम्प्लेक्स, नई विधानसभा के पीछे, जनपथ, लाल कोठी, जयपुर एवं मैसर्स नीलकंठ डवलपर्स 158, महावीर नगर बी, मुहाना रोड, गोल्यावास, सांगानेर, जयपुर	
7	आवेदनकर्ताओं की सूची का प्रकाशन	19.04.2025	
8	आवेदनकर्ताओं द्वारा वेबसाइट एवं कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि	21.04.2025	
9	प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण की अवधि	22.04.2025	
10	प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण पर लिये गये निर्णय का प्रकाशन	23.04.2025	
11	पात्र आवेदकों की लॉटरी तिथि	25.04.2025	
12	समय एवं स्थान	दिनांक: 25.04.2025, समय सुबह 11.30 बजे, कार्यालय मंगलम बिल्ड डवलपर्स लिमिटेड, सिक्स्थ फ्लोर, अपेक्स मॉल, लाल कोठी, टॉक रोड, जयपुर, राजस्थान	
13	वेबसाइट	www.manglamgroup.com	
14	संपर्क नं.	अरुण सिंह बिष्ट मो. नं: 9602931418	

2. आवंटन की प्रक्रिया:-

- 2.1 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर, राजस्थान के आदेश दिनांक 20.02.2018 के क्रम में प्राप्त आवेदनों में से लॉटरी के माध्यम से आवंटन किये जाने के पश्चात,

आवंटन से बचे शेष आवासों का आवंटन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर विकासकर्ता/निर्माणकर्ता द्वारा किया जावेगा।

- 2.2 राजस्थान रेरा प्राधिकरण में योजनाओं का रेरा में पंजीयन करवाया जा चुका है।
- 2.3 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा इस संबंध में जारी विभिन्न पॉलिसी आदेश, परिपत्र इत्यादि के उक्त योजना के आवंटन में लागू रहेंगे।

3. लॉटरी हेतु आवेदन करने की पात्रता :

- 3.1 आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो। आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि से 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य है।
- 3.2 आवेदन फार्म में आवेदक को अपना स्वयं का आधारकार्ड का अंकन करना अनिवार्य है। आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर आवेदक को अपना आधार नंबर उपलब्ध करवाना होगा।
- 3.3 आवेदक स्वयं एवं उसकी/उसके पत्नी/पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (जिसकी आबादी 1,00,000 से अधिक हो) में कोई आवासीय भूखण्ड/मकान/फ्लैट (लीजहोल्ड/फ्री होल्ड पर) नहीं होना चाहिए।
- 3.4 जयपुर विकास प्राधिकरण से आवेदनकर्ता के नाम से गत 10 वर्षों में कोई मकान अथवा भूखण्ड रियायती दर पर प्राधिकरण द्वारा आवंटित नहीं हुआ हो। यदि गत 10 वर्ष में आवेदक ने आवंटन करवाकर फ्लैट्स का विक्रय कर दिया है तो आवेदन का पात्र नहीं है।
- 3.5 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ. 18(36)यूडीएच/एनएचपी/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 03.04.2017 के अनुसार अल्प आय वर्ग (LIG) श्रेणी के आवेदक की वार्षिक आय, फ्लैट का क्षेत्रफल इत्यादि निम्नानुसार निर्धारित की हुई है:-

क्र. सं.	विवरण		अल्पआय वर्ग (LIG) श्रेणी
	फ्लैट	निर्मित सुपर बिल्टअप एरिया	550 वर्गफीट
1	योजना में फ्लैट की संख्या		18 फ्लैट्स (LIG)
2	योजना में फ्लैट का क्षेत्रफल सुपर बिल्टअप एरिया		550 वर्गफीट
3	(i) परिवार की प्रति वर्ष की सकल आय सीमा (रूपये)		रु. 3,00,001 /- से रु. 6,00,000 /- तक प्रति वर्ष
	(ii) फ्लैट कि आवंटन दर रुपये प्रति वर्गफीट		रु. 2042/- (प्रति वर्गफीट सुपर बिल्टअप एरिया पर) रुपये 50/- प्रति वर्गफीट संबंधित नगरीय निकाय एवं रुपये 50/- प्रति वर्गफीट संधारण मद (Maintenance Corpus) तथा 75/- प्रति वर्गफीट लिफ्ट चार्जज उपरोक्त दर में सम्मिलित है।
	(iii) पंजीकरण राशि प्रति फ्लैट		रु. 20,000 /-

- 3.6 इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण राशि श्रेणी अनुसार सिर्फ बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा प्रत्येक आवेदन के साथ मनोरमा हार्ड्ट्स के लिए **"Manglam Build Developers Limited"** नाम से जमा करानी होगी। जो कि "मंगलम बिल्ड डवलपर्स लिमिटेड." के ऑफिस, सिक्स्थ फ्लोर, अपेक्स मॉल, लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान में आवेदन पत्र के साथ जमा करानी होगी।
- 3.7 आवेदक उक्त योजना में एक ही आवेदन कर सकता है। आवेदक यदि एक से अधिक आवेदन करता है तो ऐसे प्राप्त सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।
- 3.8 पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र मय पंजीकरण राशि दिनांक 18 मार्च, 2025 से प्रातः 10.30 बजे से सांयकाल 4.00 बजे के मध्य (प्रत्येक रविवार एवं राजकीय अवकाश को छोड़कर) दिनांक 17 अप्रैल, 2025 तक, "मंगलम बिल्ड डवलपर्स लिमिटेड" के ऑफिस, सिक्स्थ फ्लोर, अपेक्स मॉल, लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान, में जमा कराना होगा।
- 3.9 आवेदक के स्वयं के परिवार की वार्षिक सकल आय (पति, पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2023-24 (1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक) के आधार पर होनी चाहिए। आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की सकल मासिक आय के आधार पर की जाएगी। कुल आय में सभी स्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी।
- 3.10 आवेदनकर्ता जो आयकर विवरणिका भरते हैं उन्हें आई.टी.आर की प्रति/फार्म 16 तथा पैनकार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा।
- 3.11 निर्धारित प्रपत्र में ही तैयार किया गया आय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। वेतन स्लिप एवं अन्य प्रपत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।
- 3.12 योजनाओं में उपलब्ध प्लैट्स की संख्या में कमी/वृद्धि की सूचना विकासकर्ता/निर्माणकर्ता की वेबसाइट पर अथवा जरिये विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रदर्शित की जावेगी। सफल आवंटी द्वारा आवंटित प्लैट का क्षेत्रफल, घोषित क्षेत्रफल से अधिक होने की दशा में अधिक क्षेत्रफल की राशि देय होगी।
- 3.13 मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के तहत राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.01.2020 के अनुसार पूर्व की दर रु. 1600/- प्रति वर्गफीट में 5 प्रतिशत की सालाना वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः दिनांक 01.04.2023 से निर्धारित दर रुपये 1945/- प्रति वर्गफीट में से रुपये 50/- प्रति वर्गफीट संबंधित नगरीय निकाय एवं रुपये 50/- प्रति वर्गफीट संधारण मद (Maintenance Corpus) में रखी जावेगी तथा शेष राशि विकासकर्ता/निर्माणकर्ता के पास रहेगी। इसके अतिरिक्त रुपये 75/- प्रति वर्गफीट लिफ्ट चार्ज के रूप में देय होगा।
- 3.14 जीएसटी एवं अन्य कर (GST / Taxes) प्लैट के विक्रय मूल्य से अलग देय होगा।

3.15 योजनाओं में आवेदन के लिए प्लैट में विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण निम्नानुसार किया जावेगा। आवेदक किसी एक श्रेणी में ही आवेदन कर सकता है :-

	राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी	अनु. जनजाति	अनु. जाति	विकलांग	अधिस्वीकृत पत्रकार	सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं)			अनारक्षित श्रेणी
						शहीद सैनिक की विधवा या शहीद की आश्रित	सैनिक विकलांग	अन्य सैनिक	
	10%	6%	9%	5%	2%	10%			58%

- आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष प्लैटों का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जावेगा।
- राज्य सरकार/उपक्रमों/राजकीय कम्पनियों के नियमित रूप से चयनित कर्मचारी जो कि वर्तमान में प्रोबेशन पर हैं वे भी इस हेतु पात्र होंगे, बशर्त कि आवेदक स्वयं की तथा पति/पत्नी एवं आश्रित की आय के आधार पर निर्धारित श्रेणी/श्रेणियों के अनुसार पात्रता रखता हो।
- जो व्यक्ति राजस्थान सरकार/राजकीय विश्वविद्यालय/राज्य के स्थानीय निकायों व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीनस्थ कार्यरत हैं उन्हीं को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आरक्षित प्लैटों के लिये आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
- अनु. जाति/अनु. जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति हैं, जो राजस्थान की जनगणना में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के रूप में सूचीबद्ध हैं। ऐसे व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- विकलांग व्यक्ति वे हैं, जो शारीरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके हैं, तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।
- अधिस्वीकृत पत्रकार वे हैं, जिन्हें राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई हो।
- सैनिक का अर्थ – थल सेना, जल सेना, वायुसेना (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.) में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवार में पति, पत्नी/पुत्र व उस पर आश्रितों से है।
- आवेदक जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है उस परिवार से केवल मात्र एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है।

- सैनिक कोटे में आरक्षित फ्लैटों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में उसके परिवार का कोई भी अन्य सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा।
- सैनिक को पूर्व में किसी यू.आई.टी./जविप्रा की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई फ्लैट आवंटन होने की स्थिति में वह/परिवार का सदस्य फ्लैट आवंटन हेतु, आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- मृतक सैनिक के परिवार से केवल परिवार का एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे।
- सैनिक कोटे में आरक्षित फ्लैट हेतु आवेदक को परिशिष्ट प्रारूप अनुसार रुपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रमाणित अतिरिक्त शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं) के लिये आरक्षित फ्लैटों का आवंटन उनके मध्य निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। इसके लिये सम्बन्धित श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।

(अ) उन सैनिकों की विधवाएँ एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो। (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.) (उन कार्मिकों की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो।)

(ब) विकलांग सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.)

(स) अन्य सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.)

(द) निर्मित आवासों में सुपर बिल्ट अप क्षेत्रफल निम्न प्रकार है:-

विवरण	अल्पआय वर्ग (LIG) श्रेणी
निर्मित सुपर बिल्टअप एरिया	550 वर्ग फीट(लगभग)

- निर्मित क्षेत्रफल के फ्लैट्स का प्लिन्थ एरिया, कॉमन सुविधा यथा लॉबी आदि का समानुपातिक क्षेत्रफल एवं बालकॉनी का 50 प्रतिशत क्षेत्रफल सम्मिलित है।
- नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार के आदेश पं. 18(36) नविवि/NAHP/2014 पार्ट दिनांक 20.02.2018 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार निर्धारित दर से बेचे जाने वाले सभी प्रावधानों में लिफ्ट की सुविधा सम्मिलित की जाती है, तो अधिकतम 50 ईकाईयों पर प्रति लिफ्ट के हिसाब से प्रस्तावित करने पर आवंटियों द्वारा विकासकर्ता/निर्माणकर्ता को रु 75/- प्रति वर्गफीट की दर से भुगतान किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः जिन परियोजनाओं में आवेदन

पत्र आमंत्रित किये गये हैं, अतः लिफ्ट सुविधा के प्रावधान हेतु उपरोक्तानुसार आवंटी अतिरिक्त लिफ्ट चार्ज देने के लिये बाध्य होगा।

4. आवेदन की सामान्य शर्तें:—

- 4.1 आवेदनकर्ता आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम होवे एवं आवेदनकर्ता का बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी कोड सही व स्वयं के नाम से चालू स्थिति में हो। संयुक्त नाम से खाता संख्या मान्य नहीं होगा।
- 4.2 राज्य सरकार या स्थानीय निकाय समय-समय पर जो भी कर/किराया आदि तय करती हैं वह इस आवंटन पर भी लागू होगा। आवंटी पर राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रसारित नियम/आदेश भी लागू होंगे।
- 4.3 योजनाओं में उपलब्ध फ्लैट की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। जिसकी सूचना विकासकर्ता/निर्माणकर्ता की वेबसाइट पर अथवा जरिये विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रदर्शित की जावेगी।
- 4.4 आवेदक आवेदन करते समय अपना नाम (जैसा बैंक खाते में हो), बैंक खाता संख्या (पूर्ण अंको सहित) तथा IFSC Code, बैंक का नाम एवं ब्रांच का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। संयुक्त नाम से खाता मान्य नहीं होगा।

5. फ्लैट के आवेदन फार्म निरस्त करने से संबंधित बिन्दु:

- 5.1 आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन करने के पश्चात लॉटरी से पूर्व आवेदन-पत्र आहरित (वापस/ Withdraw) नहीं किया जा सकेगा। अतः आवेदनकर्ता से अपेक्षित है कि आवेदन सुनिश्चित होने के पश्चात ही आवेदन किया जावे।
- 5.2 एक से अधिक आई.डी. से आवेदन करने, एक से अधिक खाता संख्या से आवेदन करने तथा एक से अधिक मोबाइल नम्बर से आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगे तथा सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 5.3 यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो।
- 5.4 आवेदक द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर।
- 5.5 आवेदन पत्र में गलत तथ्य (यथा मोबाइल नम्बर एवं बैंक खाता संख्या व आई.एफ.एस.सी. कोड इत्यादि देने पर)।
- 5.6 अवयस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर।
- 5.7 संयुक्त नाम से आवेदन करने पर।
- 5.8 राज्य सरकार के आदेशों के अनुसरण में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी फ्लैटों के आवंटन के संबंध में राज्य सरकार की मंशा सही एवं पात्र व्यक्तियों को उचित कीमत पर आवास

सुविधा उपलब्ध करवाने की है, जिसके लिए आवेदकों द्वारा आवेदन फार्म में स्वयं का सही तथ्यात्मक एवं विधि सम्मत विवरण दिया जाना आवश्यक है।

- 5.9 लॉटरी के पश्चात लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता की जांच संबंधित विकासकर्ता/निर्माणकर्ता द्वारा की जावेगी। जिसमें गलत तथ्य पाये जाने पर लॉटरी में आवंटित फ्लैट निरस्त कर आवंटित फ्लैट का भौतिक कब्जा वापिस ले लिया जावेगा।
- 5.10 यदि गलत तथ्यों के आधार पर आवेदक यदि फ्लैट आवंटन करवाने में सफल हो जाता है एवं आवंटन जारी होकर फ्लैट की कीमत जमा पश्चात भी यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो विकासकर्ता/निर्माणकर्ता द्वारा आवंटी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर आवंटी के गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन का दोषी पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर जमा सम्पूर्ण राशि जब्त कर फ्लैट का कब्जा निर्माणकर्ता द्वारा ले लिया जावेगा।
- 5.11 सफल आवेदकों द्वारा निर्धारित अवधि (30 दिवस)के अन्दर पूरा भुगतान न किये जाने की स्थिति में आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा। जमा राशि बिना ब्याज, निर्धारित रद्दकरण प्रभार (Cancellation Charges) काटकर लौटाई जाएगी। फ्लैट रद्द करने के मामले में राशि वापस प्राप्त करने हेतु निम्न दस्तावेज प्रस्तुत होंगे।
- मूल आवंटन/मांग पत्र।
 - बैंक विवरण की प्रति।
 - आवासीय पता परिवर्तन की स्थिति में आवास प्रमाण।

6. लॉटरी में सफल होने पर आवंटन प्रक्रिया:

- 6.1 विकासकर्ता की ओर से निर्माणकर्ता द्वारा निकाली जाने वाली लॉटरी में क्षेत्रीय उपायुक्त जोन जयपुर विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि को अधिकृत किया गया है जो आवंटन प्रक्रिया में भाग लेंगे एवं लॉटरी में उपस्थित रहेंगे।
- 6.2 योजना में फ्लैट की लॉटरी निकालते समय कुल फ्लैट्स की संख्या का 10 प्रतिशत वरीयता के अनुसार प्रतीक्षा सूची में निकाली जावेगी। लॉटरी में सफल आवेदक को आवंटित फ्लैट की राशि समय पर जमा नही कराने अथवा आवेदन निरस्त कराने की दशा में वरीयता के आधार पर आवंटित किये जा सकेंगे।
- 6.3 लॉटरी में सफल हुए आवेदक निम्नलिखित प्रमाणपत्र/दस्तावेज लॉटरी की तिथि से 21 दिवस के अन्दर-अन्दर सम्बन्धित विकासकर्ता/निर्माणकर्ता के कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक होगा अन्यथा लॉटरी में खुले फ्लैट का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र (समस्त आवेदकों के लिए),
 - जन्म तिथि का प्रमाणपत्र (वोटर आई.डी./आधारकॉर्ड/झाइविंग लाईसैंस/पासपोर्ट/अंकतालिका आदि में से कोई भी)

- आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति/यदि आधार कार्ड ना होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उसका नम्बर प्राधिकरण के जोन कार्यालय में अपडेट कराना होगा। (समस्त आवेदकों के लिए)।
 - सकल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2023-24 (1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक) का प्रमाण पत्र (बिना कटौती के), (स्वयं, पति/पत्नी एवं आश्रित की आय को सम्मिलित करते हुए), (समस्त आवेदकों के लिए)।
 - आरक्षित फ्लैटों के सफल आवंटी को संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रमाणित/सत्यापित प्रति यथा Govt. Employee/ SC/ ST/ Handicap/ Accredited Journalist/ Soldier
- 6.4 निर्माणकर्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने के उपरान्त पात्र आवेदकों को मांग पत्र जारी किये जायेंगे। मांगपत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस में फ्लैट की कीमत निर्माणकर्ता को जमा करवानी होगी।
- 6.5 पात्र आवेदक को निर्धारित राशि आवंटन-मांगपत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस में निर्धारित माध्यम चैक/बैंक ड्राफ्ट/NEFT/RTGS द्वारा निर्माणकर्ता के खाते में जमा करानी होगी।
- 7. असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि की वापसी :**
- 7.1 लॉटरी में असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड अर्थात आवेदक द्वारा जमा किये गये बैंक ड्राफ्ट को ड्रॉ के तीन माह के अन्दर बिना ब्याज के कार्यालय से प्राप्त कर सकेगा।
- 8. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें :**
- 8.1 फ्लैट के विक्रय पत्र का पंजीयन निर्माणकर्ता द्वारा करवाया जाएगा तथा पंजीयन का समस्त शुल्क आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा।
- 8.2 आवंटित फ्लैट का निर्माणकर्ता द्वारा आवंटी के नाम से कब्जा पत्र तैयार कर उपलब्ध करवाया जावेगा।
- 8.3 आवंटनकर्ता द्वारा आवंटियों को लिखित में विक्रयपत्र निष्पादन की सूचना, देय स्टाम्पस की राशि, नियमन राशि इत्यादि का विवरण अवगत कराते हुए पत्र भेजा जावेगा।
- 8.4 आवंटी को इकरारनामा/लीजडीड/विक्रय पत्र के पंजीयन का खर्च स्वयं वहन करना होगा तथा उसके पश्चात् ही फ्लैट का भौतिक कब्जा निर्माणकर्ता द्वारा दिया जावेगा। आवंटी इकरारनामा/लीजडीड/विक्रय पत्र/मांग पत्र/आवंटन पत्र की शर्तों से बाध्य रहेगा।
- 8.5 राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को सम्पत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पतिकर, नगर निगम कर, विकास कर, लीज राशि इत्यादि।

- 8.6 राजस्थान सरकार नगरीय विकास के आदेश दिनांक 23.02.2016 के अनुसार आवंटित फ्लैट का आवंटी द्वारा 10 वर्ष की अवधि तक विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है अतः निर्माणकर्ता द्वारा भी हस्तान्तरण नहीं किया जावेगा। ऐसे प्रकरण ध्यान में आने पर आवंटी को सुनवाई का अवसर देकर आवंटन रद्द कर फ्लैट का कब्जा निर्माणकर्ता अथवा स्थानीय निकाय (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा ले लिया जावेगा।
- 8.7 आवंटन में प्राप्त फ्लैट केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा। आवास में आवंटी किसी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नहीं करा सकेगा एवं न ही अन्य कोई अनाधिकृत/वाणिज्यिक उपयोग करेगा इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को आवास का आवंटन निरस्त करने के समस्त अधिकार होंगे।
- 8.8 आवासीय इकाई (फ्लैट) से संबंधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना, आहाते की दीवार, लिफ्ट, बगीचे, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिये प्रत्येक आवंटी को आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस संस्था का गठन राजस्थान सरकार के नियमों तथा उपनियमों के अनुसार होगा। आवासों का कब्जा इसी शर्त पर दिया जावेगा एवं उपरोक्त नियमों का पालन किया जावेगा। रख-रखाव का खर्चा सोसाईटी के माध्यम से आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। भविष्य में सोसाईटी द्वारा नियमित रख-रखाव के लिए सोसाईटी या मेंटीनेंस एजेंसी द्वारा जो भी मासिक राशि बताई जाएगी, आवंटी द्वारा जमा कराना अनिवार्य होगा। सोसाईटी का गठन संबंधित निर्माणकर्ता द्वारा आवंटियों से समन्वय कर करवाया जायेगा।
- 8.9 फ्लैट का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में फ्लैट में निवास अनिवार्य होगा अन्यथा निर्माणकर्ता/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को ऐसे फ्लैट्स का आवंटन निरस्त करते हुए कब्जा स्वतः प्राप्त कर अन्य पात्र व्यक्तियों को आवंटन का पूर्ण अधिकार होगा।
- 8.10 लॉटरी तिथि से पूर्व आवेदन के लिए उपलब्ध फ्लैट की संख्या में कमी अथवा बढ़ोतरी की जा सकती है।

(समस्त आवेदको के लिए)

मैं पुत्र/पत्नी/पुत्री
आयु निवासी

शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि

- (1) यह कि मेरे या मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान के 1,00,000 से अधिक आबादी वाले किसी कस्बा/शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण, लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड आवासीय भूखण्ड अथवा मकान नहीं है तथा मैं राजस्थान का/की मूल (बोनीफाईड) निवासी हूँ।
- (2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं अपने आय वर्ग अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा/रही हूँ, जिस हेतु आवेदन प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेंगे मैं पेश कर दूँगा/दूँगी।
- (3) यह कि मैंने सामान्य/आरक्षित श्रेणी (राजस्थान राज्य कर्मचारी/सैनिक/अनु. जाति/अनु. जनजाति/विकलांग/अधिस्वीकृत पत्रकार) में आवेदन किया है जिसकी मैं पात्रता रखता/रखती हूँ। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेंगे, मैं प्रस्तुत कर दूँगा/दूँगी।
- (4) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित प्लैट निरस्त किया जा सकेगा।
- (5) प्राधिकरण की किसी भी आवासीय योजना में विगत 10 वर्षों में कोई भूखण्ड/प्लैट मेरे (स्वयं पति/पत्नि तथा किसी आश्रित के नाम भूखण्ड/मकान आवंटित नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता (IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण-पत्र

(गैर वेतन भोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान/श्रीमती/सुश्री
 पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री जाति
 नवासी.....ग्राम तहसील
 राज्य की स्वयं पति/पत्नी और आश्रितों की सकल मासिक आय रु.....
 प्रतिमाह है व मेरा पैन नम्बर है।

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
 शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।
 गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता(IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानों के
 तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण-पत्र

(वेतन भोगी आवेदको के लिये)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री इस विभाग में
पद पर कार्यरत है एवं ये केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम का/की
कर्मचारी हूँ/हैं इनकी सकल मासिक आय रु प्रतिमाह है।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम का नाम

स्थान :
दिनांक:

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदको हेतु प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री जाति
निवासी..... जिला
सम्भागराज्य जाति के सदस्य है जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति
(सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल है।

हस्ताक्षर
तहसीलदार
(कार्यालय की मोहर सहित)

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्व-प्रमाणित प्रति

सैनिक/सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओं हेतु

(आय प्रमाण-पत्र के लिए मान्य नहीं होगा)

प्रमाणित किया जाता है कि कि श्रीमान/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री (रैंक)
(नाम) (नम्बर)

(अ) यह वर्तमान में भारतीय थल/जल/वायु सेना/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सी. आई.एस.एफ. में कार्यरत है। इनकी मासिक आय रु प्रतिमाह है।

(ब) ये सशस्त्र सेनाओं/सुरक्षा बलों से सेवानिवृत्त हुए हैं तथा सेवानिवृत्ति के समय इनकी मासिक आय रुपये प्रतिमाह थी।

(स) इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गयी थी। इनकी विधवा श्रीमती/सुश्री
..... है। इनके पति की मृत्यु के समय मासिक आय रुपये
प्रतिमाह थी। इन्होंने अभी तक पुनर्विवाह नहीं किया है।

दिनांक:

स्थान :

कमान्डिंग ऑफिसर/
सक्षम अधिकारी/सचिव,
सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है)

कोटे हेतु आरक्षित फ्लैट हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन हेतु।

मैं पुत्र/पत्नी/पुत्री

आयु निवासी

शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-

- (1) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित फ्लैट हेतु एक मात्र ही आवेदन कर रह रहा/रही हूँ। परिवार के किसी अन्य सदस्य में उक्त अनारक्षित कोटे से फ्लैट आवंटन नहीं किया है।
- (2) यह कि मेरे पिता/पति/पत्नि सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके आधार पर आरक्षित कोटे से मेरे अतिरिक्त परिवार कि किसी भी सदस्य ने आरक्षित कोटे से भूखण्ड अथवा फ्लैट आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है तथा न ही मेरे स्व. पिता/पति/पत्नि श्री/श्रीमती ने एवं हमारे परिवार कि किसी सदस्य ने सैनिक कोटे में आज तक आरक्षित भूखण्डों अथवा फ्लैट्स में से कोई आरक्षित भूखण्डों अथवा फ्लैट आवंटित कराया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता (IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक:

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है)
कोटे हेतु आरक्षित फ्लैट हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन करने पर
सैनिक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र।

मैं पुत्र/पत्नी/पुत्री

.आयु निवासी

..शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि

- (1) यह कि सैनिक कोटे से आरक्षित फ्लैट्स के आवंटन की पात्रता रखता/रखती हूँ।
- (2) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित फ्लैट आवंटन हेतु मेरे द्वारा कोई आवेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (3) यह कि उक्त श्रेणी में आरक्षित फ्लैट्स हेतु उसके परिवार के सदस्यों के रूप में मेरा/मेरी पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा फ्लैट हेतु आवेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे से मेरी ओर से प्रस्तुत/प्रार्थना पत्र के रूप में स्वीकार किया जावे।
- (4) यह कि मुझे व मेरे परिवार को सैनिक कोटे में आरक्षित कोटे में आरक्षित श्रेणी में रियायती दर पर आज तक कोई फ्लैट आवंटित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री

. शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता (IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक:

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

विकलांग प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
. पुत्र/पत्नी/पुत्री निवासी
..... की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा
ये शारीरिक रूप से अपंग है।

स्थान :

दिनांक :

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी
के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पत्नी/पुत्री निवासी
..... तहसील जिला
अधिस्वीकृत पत्रकार है।

स्थान :

दिनांक :

निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

गूगल लोकेशन :-

मनोरमा हाईट्स –

<https://maps.app.goo.gl/fzR2CmeTvdNjg1Tm9>